138

राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

कमांकः–प–5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017–18 / 3050-3188 दिनांकः– 1-6-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), ...
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त ....
3. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा
4. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत फसल पद्धति आधारित अन्तर शष्य कियाओं पर (Inter-Cropping) प्रदर्शनों के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश तथा भौतिक व वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2017–18 के संबंध में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन एवं गेहूँ योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में भी फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों को सम्मिलित किया गया है। फसल पद्धति को अपनाने हेतु लक्षित समूह के कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शनों का आवंटन करने तथा गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध कार्यक्रम कियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों का आयोजन कृषि आयुक्तालय के पत्रांक एफ. 5 (3) / आ.कृ / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017–18 / 2568–2738 दिनांक 12.05.2017 के द्वारा जारी एन. एफ.एस.एम. फसल प्रदर्शनों का आयोजन वर्ष 2017–18 के दिशा–निर्देशानुसार कराया जावे। उक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्न बिन्दूओं की अनुपालना भी सुनिश्चित करायें :–

1. प्रदर्शन लगातार ब्लॉक में लगाये जायेगें जिसमें खेत को दो भागों में बांटकर एक भाग पर उन्नत कृषि पद्धति एवं दूसरे भाग पर किसान द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धति का कन्ट्रोल प्लाट के रूप में प्रदर्शन करना है। जिले मे कम उत्पादकता वाले क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जाये।
2. चयनित कलस्टर में ऐसे सभी किसानों के खेत को सम्मिलित किया जाये जो आवश्यकता होने पर मापदण्ड के अनुसार देय सहायता राशि के अतिरिक्त राशि वहन कर सकें। प्रदर्शन का आयोजन 1 हैक्टेयर में किया जायेगा। विषेश परिस्थितियों में ही प्रदर्शन क्षेत्र कम से कम 0.4 हैक्टेयर में किया जा सकता है।
3. **फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम में खरीफ–2017 में आयोजित प्रदर्शन क्षेत्र पर ही रबी–2017–18 में प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार से एक ही किसान के उसी खेत के प्रदर्शन क्षेत्र में खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान प्रदर्शनों का आयोजन होगा।**
4. फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम में खरीफ एवं रबी फसलों का चयन वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये ही होगा। कार्यक्रम में मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, मक्का, बाजरा एवं ज्वार फसल की खरीफ 2017 तथा चना जौ, रबी मक्का एवं गेंहू फसल की रबी 2017–18 में ही बुवाई की जायेगी।

5. प्रदर्शन आयोजन हेतु 15 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. फसल प्रदर्शन में फफूदनाशी, कल्चर, आदि से आवश्यक रूप से उपचारित कर बुवाई करावें।
7. एन.एम.ओ.ओ.पी योजना के दिशा–निर्देशानुसार जियोटेगिंग (Geotagging) करवाना आवश्यक है।
8. प्रदर्शन स्थल पर वांछित जानकारी का बोर्ड लगाना आवश्यक है।
9. खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी का प्रयोग आवश्यक रूप से करवायें।
10. कीट व्याधि का प्रकोप होने पर प्राथमिकता के आधार पर बायोपेस्टीसाइड का प्रयोग करावें।
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन एवं गेंहूँ योजनान्तर्गत फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन के आयोजन में कृषि आदान सामग्री एंव अन्य हेतु 12,500/– रू0 प्रति प्रदर्शन का प्रावधान है। खरीफ दलहनी फसल आधारित फसल पद्धति प्रदर्शन, चना फसल आधारित फसल पद्धति प्रदर्शन एवं गेंहूँ फसल आधारित फसल पद्धति प्रदर्शन के आयोजन में आदान एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु देय सहायता/अनुदान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
12. फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों के लिए आवश्यक आदान व्यवस्था संलग्न फसलवार कैफेटेरिया के अनुसार कराते हुए प्रति प्रदर्शन निर्धारित राशि 12,500/– रूपये से अधिक नहीं की जावे।
13. विभिन्न फसल पद्धति के प्रदर्शनों का जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा बीज की सम्भावित आवश्यकता परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
14. अन्तर शष्य आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम में अनुदान राशि मुख्य फसल के प्रावधान अनुसार लागू होगी। उदाहरण के तौर पर दलहनी फसल मुख्य फसल है तो रू. 6710/– प्रति हैक्टेयर तथा मोटा अनाज वाली फसल मुख्य फसल है तो रू. 5000/– प्रति हैक्टेयर (मक्का + उड़द) एवं 4100/– प्रति हैक्टेयर (बाजरा + मूंग) के हिसाब से अनुदान देय होगा।
15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन एवं मोटा अनाज योजनान्तर्गत अन्तर शष्य आधारित प्रदर्शन के आयोजन में आदान एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु देय सहायता/अनुदान का विस्तृत अन्य के लिए प्रदर्शनों पर देय प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

२१८

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन (अरहर + मक्का)/(उड़द + मक्का)

क्र.स.	आइटम	राशि
1	बीज	2200/–
2	जिप्सम	600/–
3	सूक्ष्म पोषक तत्व	800/–
4	राइजोबीयम एवं पी.एस.बी. कल्चर	60/–
5	बीज उपचार एवं समन्वित कीट नियंत्रण– फेरामोनट्रेप, लाईट ट्रेप एवं नीडबेसड जैव एवं रसायन कीटनाशी	1540/–
6	खरपतवारनाशी	1000/–

7	किसान दिवस का आयोजन	250/-
8	प्रचार–प्रसार सामग्री वितरण (जिला स्तर)	240/-
9	सफलता की कहानियॉ तैयार करना (राज्य स्तर)	10/-
10	वैज्ञानिक/ राजकीय अधिकारी के भ्रमण पर व्यय	**10/-**
	योग	**6710/-**

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटा अनाज

(a) (मक्का + उड़द)

क्र.स.	आइटम	राशि
1	बीज	2125/-
2	सूक्ष्म पोषक तत्व	800/-
3	एजोटोबेक्टर एवं पी.एस.बी. कल्चर	60/-
4	बीज उपचार एवं कीटनाशी, फंजीसाइड, बायो एजेन्ट, नीडबेसड जैव एवं रसायन कीटनाशी	850/-
5	खरपतवारनाशी	655/-
6	किसान दिवस का आयोजन	250/-
7	प्रचार–प्रसार सामग्री वितरण (जिला स्तर)	240/-
8	सफलता की कहानियॉ तैयार करना (राज्य स्तर)	10/-
9	वैज्ञानिक/ राजकीय अधिकारी के भ्रमण पर व्यय	**10/-**
	योग	**5000/-**

(b) (बाजरा + मूंग)

क्र.स.	आइटम	राशि
1	बीज	900/-
2	सूक्ष्म पोषक तत्व	800/-
3	एजोटोबेक्टर एवं पी.एस.बी. कल्चर	60/-
4	बीज उपचार एवं कीटनाशी, फंजीसाइड, बायो एजेन्ट, नीडबेसड जैव एवं रसायन कीटनाशी	940/-
5	खरपतवारनाशी	890/-
6	किसान दिवस का आयोजन	250/-
7	प्रचार–प्रसार सामग्री वितरण (जिला स्तर)	240/-
8	सफलता की कहानियॉ तैयार करना (राज्य स्तर)	10/-
9		
10	वैज्ञानिक/ राजकीय अधिकारी के भ्रमण पर व्यय	**10/-**
	योग	**4100/-**

नोट – 1. सिफारिश के अनुसार रसायनिक उर्वरक की व्यवस्था किसान द्वारा की जायेगी।

2. बिन्दु संख्या 1 से 10 में यदि बचत रहती है तो आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी बिन्दु संख्या में राशि का उपयोग किया जा सकता है।